कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 821/ 12-1 (52) नई टिहरी, दिनांक- 13/10/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषयः- **जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/WATER/41746/2019)

सन्दर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/09/41/2020/एफ0सी0/1318, दिनांकः-22-09-2020 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः-987/FP/UK/WATER/41746/2019, दिनांकः-01-10-2020।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा नगर (पुर्न0) पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन प्रस्तुत किया जायेगाः-

1- **शर्त सं0-01** के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

A.E.

2- **शर्त सं0-02** के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

E.E.

3- **शर्त सं0-03-प्रतिपूरक वनीकरण :-**

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.816 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0-6,12,326.00 (छः लाख बारह हजार तीन सौ छबीस रूपये मात्र) जमा की जायेगी। वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार हैः-

<u>प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन</u>

1-वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल - 1.816 है0
2-वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर - 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी)
3-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग- 1.816 है0X3,37,184.00=6,12,326.144 या 6,12,326.00
(छः लाख बारह हजार तीन सौ छबीस रूपये मात्र)

4- **शर्त सं0-04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

क्रमशः - - 2 - -

Scanned with CamScanner

5– **शर्त सं0–05–शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः–30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांकः–18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांकः–03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः–05–02–2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार मु0–5,96,556.00 (पांच लाख छियानबे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र) की धनराशि 0.908 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार हैः–

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

1–ईको–क्लास श्रेणी – V
2–हरियाली का घनत्व– 0.1
3–एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रूपये– 6,57,000.00 (छः लाख सतावन हजार रूपये मात्र)
4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 0.908 है0
5–कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–0.908है0X6,57,000.00=5,96,556.00
(पांच लाख छियानबे हजार पांच सौ छप्पन रूपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– **शर्त सं0–06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees including 4 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

7– **शर्त सं0–07** के अनुपालन में State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8– **शर्त सं0–08** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

9– **शर्त सं0–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10– **शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11– **शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।

12– **शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।

13– **शर्त सं0–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

क्रमशः – – 3 – –

Scanned with CamScanner

14– **शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15– **शर्त सं0–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।

16– **शर्त सं0–16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

17– **शर्त सं0–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

18– **शर्त सं0–18** के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

19– **शर्त सं0–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

20– **शर्त सं0–20** के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21– **शर्त सं0–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

Scanned with CamScanner